संख्या-44/2026/I/1273088/2026/तीस-3-2026-1603020

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बलिया के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों को कराये जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-96ए/2026-25नजारत/2025, दिनांक 16-03-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बलिया के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों को कराये जाने के लिये निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कालम-7 में अंकित धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) की द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	परीक्षित लागत आगणन/ प्रशासकीय स्वीकृत की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बलिया।	कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत एवं रिकार्ड रूम का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल का उच्चीकरण, जल निकासी, सेनिटेशन, फॉल सीलिंग तथा रंगाई-पुताई का कार्य।	लोक निर्माण विभाग, वृत्त निर्माण खण्ड, बलिया।	198.43	30.93	70.00
					योग -	**70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र)**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-44/2026/I/1273088/2026(1)/तीस-3-2026-1603020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बलिया।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग, वृत्त निर्माण खण्ड, बलिया।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।